82

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर, 1994 (भाद्र 25, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (सिविल) क्रमांक-2, तथा

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष का क्रमांक-1 (राजस्व प्राप्तियां),

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चरणदास महन्त, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 51 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-2-92-विक-पांच (100) दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 1989 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, राज्यमंत्री परिवहन, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1-90-आठ, दिनांक 4 अगस्त, 1994 के साथ प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री सोबरन सिंह मावई, बाबूलाल गौर, सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिला भूमि विकास बैंक में राज्य शासन के निर्देशों की अवहेलना कर नियुक्तियां किए जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (सहकारिता) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य, खण्डवा जिले के अनेक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नलकूप खनन में अनियमिततायें किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य, रायपुर की महानदी परियोजना में सामग्री क्रय में अनियमिततायें किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. गौरी शंकर शेजवार, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायसेन जिले के भारकच्छ में शासकीय ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी के साथ मारपीट एवं कार्यालय में तोड़फोड़ की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री ज्ञान सिंह, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, शहडोल के पाली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भीतर एक नर्स की गोली मार कर हत्या की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले की गढ़ाकोटा एवं रहली तहसील में बीड़ी निर्माण में कमी के कारण श्रमिकों में बेरोजगारी होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री विक्रम वर्मा, प्रेमप्रकाश पाण्डे, रामलखन सिंह पटेल, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम द्वारा उपार्जित बीज के भुगतान में विलम्ब एवं निरस्त बीज का वितरण होने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), सदस्य, ग्वालियर शहर में अनेक बच्चों का अपहरण होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-